



2026:AHC-LKO:6388-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 77 सन 2026

राजाराम

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

डॉ. सचिन कुमार वर्मा, पूर्व एस.डी.ओ., सरोजिनी नगर, लखनऊ
एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राघव राम उपाध्याय, रमा निवास पाठक
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2026)

1. यह अपील दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करने हेतु आवेदन है।
2. सुनवाई हुई।
3. हमने विलंब को माफ करने हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र का अध्ययन किया है। उसमें बताए गए कारण पर्याप्त हैं और अनुचित भी नहीं हैं। इसलिए, आवेदन को अनुमति दी जाती है। विलंब को माफ किया जाता है।

(अपील के ज्ञापन पर आदेश)

4. सुनवाई हुई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर अपील है। सामान्यतः अवमानना न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील तभी स्वीकार्य होती है जब वह क्षेत्राधिकार से बाहर हो या अवमानना न्यायाधीश ने उन मुद्दों के गुण-दोषों पर विचार किया हो जिनका निर्णय रिट न्यायालय द्वारा नहीं किया गया हो। इस मामले में यह तर्क दिया गया है कि अवमानना याचिका को खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है। उन्होंने हमारा ध्यान आक्षेपित आदेश के प्रस्तर 7 और 8 की ओर दिलाया है और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के तहत कार्यवाही में उप-जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देता है, तो उसमें निहित टिप्पणियों और चर्चा का महत्व होगा। अतः यह अपील दायर की गई है।

6. हमने आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है। इस अपील का निस्तारण आक्षेपित निर्णय के स्पष्टीकरण के साथ किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के तहत उप-जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2025 को पारित आदेश को विधिवत चुनौती दी जाती है, तो प्रस्तर संख्या 7 और 8 में की गई टिप्पणियां लागू नहीं होंगी।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 29, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।